Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 65 Date 20.5.20

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री
बिहार, पटना।

विषयः— अनुमण्डल पदाधिकारी से आपूर्ति का कार्य हटाकर विभागीय पदाधिकारियों को सौंपे जाने के संबंध में।

प्रसंगः— सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के अमर्यादित व्यवहार एवं असंतुलित निदेश एवं कार्यप्रणाली के कारण राशन कार्ड निर्गत करने में उत्पन्न कठिनाई के संदर्भ में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों का मुख्य कार्य विधि–व्यवस्था का संधारण, आपदा प्रबंधन एवं राजस्व कार्य का संधारण है। आपूर्ति विभाग के कार्य के लिए प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तर पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला स्तर एवं प्रमण्डल स्तर पर भी पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। तदनुसार विभाग द्वारा पदाधिकारियों की पदस्थापना भी की जाती है। इन विभागीय पदाधिकारियों के अतिरिक्त सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों तथा जिला पदाधिकारियों को भी आपूर्ति के मामले में शक्ति प्रदत्त है।

2. किन्तु वर्त्तमान कोरोना काल में विभाग की नीति स्पष्ट नहीं रहने, अव्यवहारिक एवं पथभ्रष्ट निदेश दिए जाने के कारण विभागीय पदाधिकारियों को छोड़कर केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को चिह्नित कर प्रताड़ित किया जा रहा है। समदर्शी मामले में अन्य संवर्ग के पदाधिकारी जहाँ अनुमण्डल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं, यथा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पटना, उनकी उपलब्धि न्यूनतम रहने पर भी उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है।

3. इस वैश्विक महामारी से उत्पन्न गंभीर आपदा की स्थिति में सभी अनुमंडल पदाधिकारी 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन एवं विधि व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त अनुमंडल पदाधिकारियों पर खाद्य एवं आपूर्ति संबंधित वैसे भी कार्यों की जिम्मेवारी है, जो वस्तुतः Control Order, 2016 के तहत अनुमंडल पदाधिकारियों की जवाबदेही नहीं है। सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पिछले दो माह से प्रतिदिन लगभग 3 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए जाने के कारण लॉकडाउन का अनुपालन एवं क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यही नहीं, प्रवासी श्रमिकों को लाने वाली ट्रेनों के आने पर व्यवस्था/प्रबंधन हेतु रेलवे स्टेशनों पर जाने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों को बुरी तरफ अपमानित किया जाता है।

4. आपूर्ति संबंधित कार्यों में कथित रूप से अच्छा प्रदर्शन न करने वाले पाँच अनुमण्डल पदाधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना द्वारा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप पाँच अनुमण्डल पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू किए जाने की अपुष्ट जानकारी प्राप्त हुई है। किंतु आश्चर्यजनक रूप से उन पाँच अनुमण्डलों/ जिलों/प्रमण्डलों में पदस्थापित विभागीय आपूर्ति पदाधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई तो दूर, कारण पृच्छा तक नहीं की गई है।

5. अभी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के चार प्रमुख कार्य चल रहे हैं, जिसमें राशन कार्ड निर्गत करना इत्यादि शामिल है। इन सभी की प्राथमिकता सचिव महोदय द्वारा स्वेच्छा एवं नियमित रूप से बदली जाती रहती है और इस प्रकार वे अपनी मनमर्जी से केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी को प्रताड़ित करते रहते हैं।

6. आपूर्ति विभाग अपने लक्ष्यों को लेकर स्वयं भ्रम की स्थिति में है एवं लगातार लक्ष्यों को बदलता रहता है। आपदा के समय राशन कार्ड धारकों के खाते में सहायता राशि भेजने के मामले में विभाग अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया है कि वास्तविक लक्ष्य क्या है। हमेशा नया डाटा उपलब्ध कराया जाता रहा है। अब तक लगभग आधा दर्जन बार लक्ष्य को बदला जा चुका है। आश्चर्य की बात है कि एक बार प्राप्त डाटा में से सभी प्रविष्टियाँ कर देने के बाद अगली बार प्राप्त लक्ष्य घटने के बजाय बढ़ता ही जाता है एवं सचिव महोदय के पास इसका कोई संतोषप्रद समाधान नहीं होता है।

7. पिछले दो महीनों में सचिव महोदय ने अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ दर्जनों बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की हैं लेकिन एक भी बैठक की कार्यवाही निर्गत नहीं की गई है। वस्तुतः एक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के बाद दूसरे में दिए गए निदेश स्वयं विरोधाभासी होते हैं तथा वे मौखिक दबाव डालकर तथा दंडित करवाने की धमकी देकर अनुमंडल पदाधिकारियों से नियम के विरूद्ध मनोवांछित कार्य कराना चाहते हैं और इसी नीयत के चलते किसी वीडियो कान्फ्रेंसिंग की कार्यवाही निर्गत नहीं की जाती हैं।

8. भारी भरकम राज्यस्तरीय तकनीकी टीम एवं तकनीकी उपकरणों पर सरकारी संसाधन व्यय करने के उपरांत भी विभाग आवश्यक तकनीकि सहायता उपलब्ध नहीं करा पाता है। यद्यपि सभी कार्य ऑनलाईन किया जाता है, तथापि दिन में आधे समय तक सर्वर उचित गति से काम नहीं करता है। बैठकों में राज्यस्तरीय तकनीकी दल की विफलता का ठीकरा भी अनुमंडल पदाधिकारियों के सिर पर फोड़ा जाता है।

9. विभागीय निदेश के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत कर लाखों लाभार्थियों का सत्यापन ई–पॉश मशीन पर कराया किंतु कुछ ही दिनों के बाद यह बताया गया है कि ई–पॉश मशीनों पर किए गए सत्यापन का डाटा विलुप्त हो गया है एवं अब उस कार्य का कोई लाभ नहीं रह गया है। अतः पुनः सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाए। इससे अनुमंडल पदाधिकारियों के लिए अत्यंत असहज स्थिति हो गई एवं महत्वपूर्ण संसाधन एवं कार्य दिवस बर्बाद हो गए।

10. पिछले दो वर्षो में अनुमंडल पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में अपात्र राशनकार्डधारियों के राशन कार्ड रद्द किए हैं ताकि खाद्यान्न वास्तविक रूप से सुपात्र लाभुक तक पहुँचे। पर इन सभी रद्द राशन कार्डो को भी विभाग द्वारा इ–पॉश मशीनों पर अपलोड कर दिया गया जिसके कारण अपात्र लाभुक भी ज.वि.प्र. विक्रेताओं पर राशन के लिए दबाव बनाते हैं और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते है। ऐसे लोगों की सूची बार–बार उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

11. लगभग छः माह से आपूर्ति विभाग के वरीय पदाधिकारी आश्वस्त कर रहे हैं कि अपात्र लाभुकों को डाटाबेस से हटाने का अधिकार अनुमंडल पदाधिकारियों को दे दी जाएगी, किंतु आज तक यह विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया है। भारी भरकम तकनीकी दल वाले विभाग का हाल यह है कि लाखों की संख्या में ऐसे आवेदनों के विरूद्ध भी नया राशन कार्ड बनाने के आदेश अनुमंडल पदाधिकारियों को दे दिया गया, जिनके आवेदकों को पूर्व में भी राशन उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रत्येक अनुमंडल में कम से कम 3000 से 4000 ऐसे मामले हैं। यही नहीं, कई ऐसे राशन कार्डधारक हैं जिनको सहायता राशि उनके खाते में भेजी जा चुकी है, उनका भी नाम डीबीटी Failed भुगतान सूची में शामिल कर लिया गया है एवं उनकी भी डाटा इन्ट्री करानी पड़ रही है।

12. विभागीय बैठकों में केवल अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रताड़ित ही नहीं किया जाता है बल्कि उनकी सही बात सुनने को कोई तैयार भी नहीं होता है। कार्य के अनुरूप संसाधन की मांग करने पर भी अमर्यादित व्यवहार किया जाता है। सबसे आपत्तिजनक एवं आश्चर्यजनक जानकारी यह प्राप्त हुई है कि अवांछित लोग, जिनका पूर्व में आपूर्ति विभाग से नाता रहा है किन्तु अब आपूर्ति विभाग में कार्यरत नहीं हैं, वे अवैतनिक रूप से अपनी विभाग की सेवा दे रहे हैं।

13. अपने विभाग की असफलता के लिए केवल बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारियों को दोषी ठहराना, विभागीय सचिव की नेतृत्व क्षमता एवं कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। मान्यता प्राप्त नयाचार के अनुसार सचिव स्तर के पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी से अथवा अपने विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहिए न कि सीधे अनुमण्डल पदाधिकारी से, जिनका पैतृक एवं नियंत्री विभाग सामान्य प्रशासन विभाग होता है।

14. अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित बिन्दुओं के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करते हुए आपूर्ति कार्य को स्थाई रूप से अनुमण्डल पदाधिकारियों से हटाकर विभागीय पदाधिकारियों को सौंपने के संबंध में उच्चस्तरीय निर्णय लेने की कृपा करना चाहेंगे ताकि अनुमण्डल पदाधिकारी राजस्व, विधि–व्यवस्था, आपदा प्रबंधन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य पर समुचित ध्यान दे सकें।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार) 20/5/20